

प्रेस- विज्ञप्तिथाना- बरदहअवैध रूप से शराब बेचने वाला गिरफ्तार, 270 शीशी अवैध शराब बरामद।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह व अपर पुलिस अधीक्षक नगर तथा क्षेत्राधिकारी लालगंज के निर्देशन में अपराध जगत में अंकुश लगाये जाने व वांछित अभियुक्तगणों की गिरफ्तारी के क्रम में दिनांक 30.07.2021 को उ0नि0 बजरंग कुमार मिश्रा मय हमराह का0 हेमन्त कुमार व का0 सौरभ सोनकर के गश्त करते हुये राजागंज बाजार पहुंचे कि मुखबिर खास द्वारा बताया गया कि साहब ग्राम कुम्भ में एक व्यक्ति अपने घर सरकारी ठेके की शराब रखकर बेच रहा है मुखबिर की सूचना पर विश्वास कर मय हमराही कर्मचारीगण व मुखबिर खास को साथ लेकर मुखबिर द्वारा बताये गये ग्राम कुम्भ पहुंचा तो मुखबिर दूर से घर की पहचान कराकर हट बढ़ गया कि उ0नि0 मय हमराहियान के मुखबिर द्वारा बताए गये मकान पर पहुंचे तो एक व्यक्ति मौजूद मिला उससे नाम पता पूछा गया तो अपना नाम सोनू यादव पुत्र पंधारी यादव ग्राम कुम्भ थाना बरदह आजमगढ़ बताया , अभियुक्त को उसके जुर्म धारा 60 आबकारी अधि0 से अवगत कराकर **अभियुक्त सोनू यादव पुत्र पंधारी यादव ग्राम कुम्भ थाना बरदह आजमगढ़ को उसके घर ग्राम कुम्भ में समय करीब 18.20 बजे** अन्तर्गत धारा 60 आबकारी अधि0 में नियमानुसार हिरासत पुलिस में लिया गया।

पूछताछ का विवरण- गिरफ्तार अभियुक्त से शराब रखने के बारे में पूछा गया तो सोनू यादव द्वारा 06 पेटी देशी शराब ठेके की (270शीशी) दिखाते हुए बताया कि हमारे पिता पंधारी यादव पुत्र स्व0 बंशराज यादव के नाम से राजागंज बाजार में देशी शराब का ठेका है जो मेरे घर से एक किमी0 की दूरी पर है उसी दुकान से अपने घर पर 06 पेटी देशी शराब (270 शीशी) ले आकर बेच लेता हूँ जिसको अभी अभी दुकान से लेकर घर आया हूँ। उ0नि0 द्वारा ग्राम कुम्भ में सोनू यादव पुत्र पंधारी यादव ग्राम कुम्भ थाना बरदह आजमगढ़ से ग्रा0 कुम्भ में ठेके की देशी शराब बेचने का लाइसेन्स मांगा गया तो दिखाने से कासिर रहा।

गिरफ्तार अभियुक्त -

अभियुक्त सोनू यादव पुत्र पंधारी यादव ग्राम कुम्भ थाना बरदह आजमगढ़

बरामदगी-

06 पेटी देशी शराब ठेके की (270शीशी)

पंजीकृत अभियोग-

मु0अ0स0 -158/2021 धारा 60 अबकारी अधि0 थाना बरदह आजमगढ़

आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0स0 -158/2021 धारा 60 अबकारी अधि0 थाना बरदह आजमगढ़
2. मु0अ0सं0 258/20 धारा 147,323,504,506 भादवि
3. मु0अ0सं0 -232/20 धारा 147,323,452,504,भादवि व 3(1)द,3(1)ध,3(2)5क एससी एसटी एक्ट

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1- प्रभारी निरी0 विनय कुमार मिश्र मय हमराह थाना बरदह आजमगढ़
- 2- उप0निरी0 बजरंग कुमार मिश्रा मय हमराह का0 हेमन्त कुमार व का0 सौरभ सोनकर थाना बरदह आजमगढ़

नोट-जनपद आजमगढ़ के समस्त थाना द्वारा शान्ति व्यवस्था हेतु कुल कार्यवाही की गयी है।

36 व्यक्तियों के विरुद्ध 151 सीआरपीसी की